

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एफ.04202/2024/289

दिनांक : 22/04/24

आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006-। दिनांक 06.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री सौरभ कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक (परिवीक्षाधीन), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बाडी, को उनकी स्वयं की प्रार्थना व संबंधित अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर परिवीक्षा अवधि का दिनांक 19.04.2023 से 11.05.2023 तक 23 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एफ.04202/2024/289

दिनांक : 22/04/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बाडी, धौलपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री सौरभ कुमार, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref  
6097880



Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation : Director  
Date: 2024.03.17 08:44:06 IST  
Reason: Approved